

परियोजना का नाम:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो0नि0वि0 (टी0एस0पी0) के अर्न्तगत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अर्न्तगत ग्राम-देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंवम् किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0सी0 पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) लम्बाई-2.180 किमी0।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अमीन
नि0ख0,लो0नि0वि0,खटीमा
(उधम सिंह नगर)

अपर सहायक अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,खटीमा
(उधम सिंह नगर)

सहायक अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,खटीमा
(उधम सिंह नगर)

अधिशारी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,खटीमा
(उधम सिंह नगर)

बौना जोशी
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-तहसील-
जिला-उधम सिंह नगर

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जौलासाल
हराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

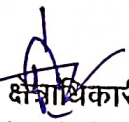
उप-तहसीलदार
प्रभागीय वन अधिकारी
हराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊ0सि0नगर)

जिलाधिकारी
उधम सिंह नगर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-19/2018 लो0नि0वि0(टी0एस0पी0) के अन्तर्गत जनपद उधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम-देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एवं किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पी0एस0सी0, गर्डर पुल के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग को किसी भी प्रकार की Working permission नहीं दी गयी है।


वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जौलासाल,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी